न्यायालय चतुर्थ अपर सिविल जज(सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0,रूद्रपुर,
ऊधम सिंह नगर।
दाण्डिक वाद संख्या–450/2025
ब्रिजेश दिवाकर बनाम प्रबल उर्फ सन्नी जौहरी

दिनांक 03.04.2025

पत्रावली कार्यालय से पेश हुयी। परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश गुप्ता उपस्थित है, उनकी ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–280 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस आशय के अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि उक्त मामले में परिवादी व अभियुक्त में आपसी सुलह–समझौता हो गया है। अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रश्नगत चैक की पूर्ण धनराशि दे दी गई है, बकाया कोई शेष नहीं है। अतः प्रार्थना है कि उक्त वाद को वापस लेने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र उपरोक्त परिवादी पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित है, उसके हस्ताक्षर को उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किया गया है।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त परिवादी पक्ष की ओर से आदेश पत्र के हाशिए पर भी उपरोक्त आशय का पृष्ठांकन अंकित किया गया है कि *''मैं इस मामले में परिवादी ब्रिजेश दिवाकर हूं। अभियुक्त के साथ आपसी राजीनामा हो गया है। प्रश्नगत चैक के संबंध में कोई लेना व देना शेष नहीं बचा है। जिस कारण मैं इस परिवाद पर आगे बल देने का कोई औचित्य नहीं रखता हूं। अतः परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 280 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को स्वीकार कर इस परिवाद को अन्तिम रूप से निस्तारित करने की कृपा करें।''* उपरोक्त अंकित पृष्ठांकन परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित है, उसके हस्ताक्षर को उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किया गया है।

3. इस प्रकार जबकि स्वयं परिवादी पक्ष द्वारा, परिवादी को विपक्षी से राजीनामा हो जाने व प्रश्नगत चैक की बाबत कोई विवाद शेष नहीं रह जाने का स्पष्ट अभिकथन कथित व अंकित एवं अभिलिखित किया जा रहा है तथा स्वयं की पूर्ण संतुष्टि अभिव्यक्त की जा रही है एवं मामले की कार्यवाही वापस किया जाकर समाप्त किये जाने की याचना की जा रही है, तब परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत की जा रही प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

4. परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–280 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते परिवाद वापसी स्वीकार किया जाता है।

5. विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद में जारी नोटिस/ आदेशिका यदि कोई जारी हो, निरस्त समझा जाए। कार्यालय अनुपालन करे।

6. पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह गयी है। तद्नुसार पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(नदीम अहमद)
चतुर्थ अपर सिविल जज(सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0
रूद्रपुर, उधम सिंह नगर।